

Spl Case No. 1843/25
Expenditure- 660/25

03/10/25

अभि1. सुरेन्द्र कुमार
..... की ओर से
अर्थदण्ड की राशि मो0.30000/.....रूपया नाजिर
रसीद संख्या 13.57974
.....दाखिल किया गया।
तत्पश्चात् मुक्त किया जाता है।

ले0

Spl. Judge Ex DNR

रु० मु० ६०००० अ० ६००००
आंगूठे के निशान ००००००००
संश्लेषण १०२३४०
०३/१०/२५

Exclusive Special Excise Court, Danapur

Special Case No

(Exemption) P.S. Case No. 660/25

Bihar Prohibition & Excise Act.

Order with Signature of the Court

03/10/25 Received F.I.R. (Exemption) P.S. Case No. 660/25 Under
section 37 Bihar Prohibition & Excise Act, 2018
against the accused person namely ① सुरेंद्र कुमार
..... seen. Register it and put
up on awaiting for receipt of Final Form.

(Dictated)

**Exclusive Special Excise Judge,
Danapur**

तत्पश्चात् : अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त / अभियुक्तगण ① सुरेंद्र कुमार 38-26
वृत्ति पेट - रवेन्द्र मोरनी सा 0 - अजादनगर वा 0 - विक्रम
लि 0 - पटना ।

..... को गिरफ्तार कर
उचित पुलिस मार्ग संरक्षण दल के साथ न्यायालय में अग्रसारण प्रतिवेदन, गिरफ्तार झापांक एवं
काण्ड दैनिकी की छायाप्रति के साथ न्यायालय में अग्रसारित किया गया है। अभियुक्त/
अभियुक्तगण मार्ग संरक्षण दल बल के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं करते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा
फार्म VI में अपने जॉच प्रतिवेदन में अभियुक्त पर प्रथम बार शराब सेवन अंकित किया गया है।
अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त / अभियुक्तगण पर
धारा 37 बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम बार शराब का
सेवन का आरोप है। अभियुक्त स्वेच्छा से अपने दोष स्वीकार करते हैं।

अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा मो 0 3890 अर्थ दण्ड की सजा दी
जाती है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 30 दिनों का साधारण कारावास की सजाय दी
जाती है।

लेखापित

विशेष उत्पाद न्यायाधीश
दानापुर